Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to increase Parliamentary Constituencies for representing Pak-Occupied Kashmir region in Jammu and Kashmir.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आप जीरो ऑवर में जितना इंट्रेस्ट लेते हैं, इतना मैंने इतने वर्षों में पहले कभी नहीं देखा । आप इसके लिए पूरे सदन की ओर से बधाई के पात्र हैं । मैं जीरो ऑवर में लगातार नोटिस दे रहा था । मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर मैं दो-तीन बार प्राइवेट मेंबर बिल भी ला चुका हूं । हम लोग बचपन से जिस विचारधारा से आए हैं, उसमें हमेशा कहते रहे:

"जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है ।"

दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे । यह किसकी गलतियों के कारण हुआ, पूरे देश को पता है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता । भारत के गृह मंत्री लगातार यह बोल रहे हैं कि धारा 370 टेम्पररी है । यह कॉंस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है जिसको भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगातार बोल रहे हैं । इस देश में दो तरह के नागरिक हैं । एक कश्मीर ही है जहां दो नागरिकताएं हैं । 35ए बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 370 की आड़ लेकर कश्मीर का नागरिक अलग और देश का नागरिक अलग कर दिया गया है । भारत के इतिहास में इस तरह की भी बातें होती हैं, यह अपनेआप में एक आश्चर्यजनक बात है । उसी का असर है कि आप यह समझें कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने हमारे जिस भू-भाग पर कब्जा कर रखा है, वहां 24 सीटें रिजर्वड हैं । 24 विधान सभा की सीटें रिजर्व हैं, लेकिन आपको और पूरे सदन को आश्चर्य होगा कि लोक सभा की एक भी सीट उसके ऊपर नहीं है ।

ऐसा कहीं नहीं है । देश में विधान सभा क्षेत्र का रिप्रज़ेंटेटिव कोई न कोई लोक सभा का सदस्य होता है । लेकिन हमने अपनी लोक सभा में, अपने

कांस्टीट्यूशन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है, इसी कारण से मेरा लगातार बिल आता रहा है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि समय आ गया है, सरकार यहां बैठी है और स्पीकर साहब स्वयं इन चीजों के बड़े जानकार हैं । आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले 370 एक टेम्पररी धारा है, इसको हटाना चाहिए । दूसरा, 35ए को खत्म करके देश में एक समान नागरिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सभी नागरिक समान हैं । पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आकर भी लोग जम्मू-कश्मीर में बसे हुए हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिल रही है । पाक ऑक्यूपाइड की जो 24 सीट्स खाली हैं, उसको भरना चाहिए । हमारे संविधान में 552 तक लोक सभा के सदस्य हो सकते हैं, इसलिए सरकार डीलिमिटेशन के माध्यम से तय करे । लोक सभा की एक-दो सीट्स बढ़ानी चाहिए । इससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा । इस पर कोई भी कम्प्रोमाइज़ भारत सरकार नहीं करेगी । जय हिन्द, जय भारत ।

माननीय अध्यक्ष :

श्री सुनील कुमार सिंह,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री दुष्यंत सिंह और

श्री राजेन्द्र अग्रवाल को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।